उत्तरांचल शासन,
लोक निर्माण विभाग
संख्या– 513/III(2)/04–115(रि.या) /2003
देहरादून , दिनांक, 12 मई,2004

कार्यालय ज्ञाप

लोक निर्माण विभाग मे कार्यरत कार्यप्रभारित कर्मचारियो को नियमित पदों के विरूद्ध विनियमित करने के संबंध मे शासनादेश संख्या–46/लो.नि.2/2003–606 पीडब्ल्यूडी./2001–टीसी–।। देहरादून दिनांक 3 जनवरी,2003 के द्वारा मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित किये गये थे। शासन के संज्ञान मे यह आया है कि कार्यप्रभारित कर्मचारियो द्वारा विनियमित न किये जाने के कारण कई याचिकायें मा0 उच्च न्यायालय मे योजित की गई है। याचिका संख्या–1446/एस.एस. ऑफ 2003 पूरनचन्द एवं अन्य बनाम उत्तरांचल राज्य मे मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28–11–03 को याचियों को नियमानुसार उपलब्ध पदों पर नियमावली के प्राविधानो के अनुसार नियमित करने हेतु विचार किया जाय के आदेश दिये गये है ।

इस संदर्भ मे शासन माननीय उच्च न्यायालय के आदेशो के अनुपालन में शासनादेश संख्या–46/लो.नि.2/2003–606 पी.डब्ल्यू.डी./2001 टी.सी.– ।। दिनांक 3,जनवरी,2003 में जारी मार्ग दर्शक दिशा निर्देशो के अर्न्तगत उपलब्ध रिक्त पदो पर आरक्षण नीति का पालन करते हुए विनियमितीकरण किये जाने की त्वरित कार्यवाही करने हेतु निम्नानुसार समिति गठित की जाती है ।

1– संबधित प्रभारी मुख्य अभियन्ता स्तर–2,लोक निर्माण विभाग – अध्यक्ष
2– संबधित वृत्त के अधीक्षण अभियन्ता –सदस्य
3– संबधित जनपद के प्रा.खण्ड के अधिशासी अभियन्ता,(नोडल अधिकारी) सदस्य सचिव

यह समिति विभाग मे उपलब्ध रिक्त अस्थाई/स्थाई पदो पर पात्र कार्यप्रभारित कर्मचारियो को विनियमित किये जाने की कार्यवाही एक माह के भीतर सम्पन्न करेगी ।

(राजीव चन्द्र जोशी)
अपर सचिव ।

संख्या– 513(1)/III–2/04 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1– प्रभारी मुख्य अभियन्ता स्तर–1,लोक निर्माण विभाग,देहरादून ।
2– प्रभारी मुख्य अभियन्ता स्तर–2, गढवाल/कुमाऊ क्षेत्र,लोक निर्माण विभाग पौडी/अल्मोडा ।
3– समस्त अधीक्षण अभियन्ता,लो.नि.वि.,उत्तरांचल ।
4– समस्त अधिशासी अभियन्ता प्रा0खण्ड (नोडल अधिकारी), लो.नि.वि. उत्तरांचल ।

आज्ञा से

(टी0के0 पन्त)
संयुक्त सचिव ।